न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 36/17

दलीपकुमार पुत्र स्व0 मनफूल राम जाति मेघवाल निवासी रोही गणेशगढ ढाणी मु0 नं0 11, कि0 नं0 19 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. राज्य
2. सावित्री पत्नी रोशन लाल
3. महेन्द्र पुत्र रोशन लाल
4. उषा रानी पुत्री रोशन लाल
5. विमला पत्नी सुरेन्द्र
6. रजनी पुत्री सुरेन्द्र
7. पूजा पुत्री सुरेन्द्र
8. दीपक पुत्र सुरेन्द्र

अकवाम महाजन सकनाए 166 राणाप्रताप कालौनी, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री पृथ्वीराज शर्मा, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री जलविन्द्रसिंह भंगू, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व इंतकाल सं0 939 दिनांक 7–3–17 तहसीलदार, श्री गंगानगर।

आदेश **दिनांक : 09–06–2017**

हस्तगत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट राजस्थान का सन् 1955 से पूर्व का निवासी तथा भूमिहीन काश्तकार है। उसके पिता के कब्जा काश्त में करीब 30 साल तक चक गणेशगढ तहसील श्री गंगानगर के मु0 नं0 111 का किला नं0 12 का 14 बिस्वा, किला नं0 13,14 सालम,19 से 22 सालम कुल 6 बीघा 14 बिस्वा कब्जा काश्त में गत 16 वर्षो से चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त रकबा आवंटन कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर में आवेदन कर रखा है। दिनांक 10–4–17 को रेस्पोडेन्ट सं0 8 कब्जा करने की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कौशिश में आया तो रोकने पर बताया कि उन्होनें इंतकाल करवा रखा है। विवादित भूमि पर अपीलांट के पिता का 30 वर्षो से कब्जा था। अपीलांट प्रभावित पक्षकार था मगर उसको बिना बुलाये, बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7–3–17 में माना है कि रोशन लाल को गलत आवंटन हुआ है। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जॉच में आवंटन को गलत माना है तथा जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि विवादित रकबा राज होना चाहिये। अपीलाधीन इंतकाल ग्राम पंचायत गणेशगढ के समक्ष पेश हुआ था। सरपंच ने दिनांक 20–2–17 को आगामी बैठक में पेश करने का दर्ज किया मगर पटवारी हल्का ने जानबूझकर तहसीलदार के पेश कर अपीलाधीन इंतकाल पारित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया नहीं अपनाई गई, ना ही आपति सूचना जारी की गई, ना ही किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, ना ही कब्जा की जॉच की गई और न ही स्वंय मौका देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो इंतकाल नियमों की पालना की है और न ही लैण्ड रिकार्ड रूल्स के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है। अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र वर्ष 2010 से विचाराधीन है। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो सही तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ पाते। अपीलांट मौके पर किला नं0 19 में ढाणी बना कर रह रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि विवादित भूमि पर अपीलांट के पिता का कब्जा विगत 30 वर्षो से एवं पिता के देहान्त के बाद अपीलांट का 16 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में वर्ष 2010 से लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् सुनवाई किये एवं बिना विधिवत् प्रकिया अपनाए अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा एवं मौका की जॉच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि रोशन लाल को आवंटन गलत हुआ है। अपीलांट मौके पर किला नं0 19 में ढाणी बना कर रह रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 20–2–17 को सरपंच, ग्राम पंचायत, गणेशगढ द्वारा आगामी बैठक में पेश करने का आदेश दिया है। धारा 135(1) के तहत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को है तथा दिनांक 7–3–17 को तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा कैम्प गणेशगढ में अपीलाधीन इंतकाल धारा 135(2) में स्वीकृत किया गया है। धारा 135(2) में अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। दिनांक 23–2–17 को तहसीलदार, श्री गंगानगर के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ है, उसमें भी तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा अपने पृष्ठांकन में नियम 135(2) के तहत पत्रावली खोलने, पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि रेस्पोडेन्ट सं0 8 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष दिनांक 23–2–17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार, श्री गंगानगर को विरासतन इन्तकाल सं0 939 स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावें जिसपर तहसीलदार, श्री गंगानगर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा दिये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा नियम 135(2) के तहत पत्रावली खोलने, पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेने एवं कौन–2 वारिस हैं, वारिसों का कोई झगड़ा तो नहीं है ? आदि के साथ पत्रावली पेश करने का आदेश पारित किया। इंतकाल सं0 939 सरपंच, ग्राम पंचायत गणेशगढ के समक्ष दिनांक 20–2–17 को पेश किया गया, जिसपर सरंपच द्वारा आगामी बैठक में पेश करने का आदेश पारित किया। दिनांक 7–3–17 को तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा कैम्प गणेशगढ में इंतकाल सं0 939 दिनांक 7–3–17 को नियम 135(2) के तहत स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल नियम 135(2) के तहत पारित किया गया है, जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

निष्कर्षतः, हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में अपील

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र हैं। दिनांक 22–5–17 को जारी स्थगन निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 09–06–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर